

विषय सूची			
क्र. सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सार		vii
अध्याय-I राज्य सरकार के वित्त			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	वित्त लेखों 2017-18 के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2	8
5.	राजस्व प्राप्तियां	1.3	10
6.	पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	24
7.	लोक लेखों की प्राप्तियाँ	1.5	26
8.	संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	27
9.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	33
10.	सरकार के पूंजीगत व्यय और निवेश का वित्तीय मूल्यांकन	1.8	37
11.	परिसंपत्तियां और देयताएं	1.9	42
12.	ऋण प्रबंधन	1.10	49
13.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	55
14.	निष्कर्ष	1.12	60
अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण			
15.	प्रस्तावना	2.1	63
16.	विनियोग लेखों का सार	2.2	64
17.	वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	65
18.	विभागीय आंकड़ों का समेकन न होना	2.4	75
19.	बजटीय विश्लेषण की समीक्षा के परिणाम	2.5	75
20.	पेंशन का अधिक भुगतान	2.6	80

21.	भुगतान एवं लेखा अधिकारियों/रक्षा/रेलवे द्वारा पेंशन आदि की प्रतिपूर्ति न होना	2.7	80
22.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.8	80
23.	संस्वीकृतियों की लेखापरीक्षा	2.9	83
24.	निष्कर्ष	2.10	84
<b>अध्याय-III वित्तीय रिपोर्टिंग</b>			
25.	लेखाकंन मानको का अनुपालन	3.1	87
26.	संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन	3.2	88
27.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.3	90
28.	वार्षिक लेखों की प्रस्तुति न होना/विलम्ब से प्रस्तुति होना	3.4	92
29.	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	3.5	94
30.	सरकारी लेखों में अपारदर्शिता	3.6	95
31.	ठेकेदारों को अदत्त देयता	3.7	95
32.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.8	96
33.	निष्कर्ष	3.9	96
<b>परिशिष्ट</b>			
34.	जम्मू और कश्मीर की प्रोफाइल	<b>परिशिष्ट 1.1</b>	99
35.	भाग क: संरचना और सरकारी लेखों के प्रपत्र	<b>परिशिष्ट 1.2</b>	101
	भाग ख: वित्त लेखों का प्रारूप		101
36.	वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति	<b>परिशिष्ट 1.3</b>	103
37.	राज्य सरकार वित्त पर समय श्रृंखला डेटा	<b>परिशिष्ट 1.4</b>	105
38.	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार	<b>परिशिष्ट 1.5</b>	108
	31 मार्च 2018 की स्थिति तक जम्मू और कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति		112
39.	जम्मू और कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006	<b>परिशिष्ट 1.6</b>	114

40.	एफआरबीएम अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन	परिशिष्ट 1.7	117
41.	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के बजट से बाहर कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां दर्शाने वाला विवरण।	परिशिष्ट 1.8	122
42.	14वें वित्त आयोग के सौंपे जाने के अंतर्गत अनुदान अनुमानों/निर्गम की स्थिति	परिशिष्ट 1.9	136
43.	नियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2016-17 के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण	परिशिष्ट 2.1	137
44.	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ अतिरिक्त व्यय किया गया है	परिशिष्ट 2.2	139
45.	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान में से ₹एक करोड़ से अधिक या 20 प्रतिशत से अधिक बचत थी।	परिशिष्ट 2.3	140
46.	अनावश्यक पूरक अनुदान/विनियोजन के मामले	परिशिष्ट 2.4	142
47.	विभिन्न अनुदानों/विनियोजन का विवरण जहां ₹एक करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।	परिशिष्ट 2.5	143
48.	₹एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की वापसी न करने पर बचत का विवरण	परिशिष्ट 2.6	144
49.	₹एक करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण	परिशिष्ट 2.7	147
50.	अनुदान संख्या 06 एवं 08 के अंतर्गत व्यय किए गए अधिक व्यय को दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.8	150
51.	अनुदान संख्या 06 एवं 08 में वापस न की गई काफी बड़ी बचत के मामले दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.9	152 और 153
52.	अनुदान संख्या 06 एवं 08 में बजट प्रावधान के बिना किए गए व्यय के मामले दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.10	154
53.	अप्रयुक्त अनुदान को दर्शाता विवरण अनुदान संख्या 06 एवं 08	परिशिष्ट 2.11	156

54.	मार्च 2018 को समाप्त प्रमुख शीर्ष-वार बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिल	<b>परिशिष्ट 3.1</b>	158
55.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित वार्षिक लेखों का विवरण दर्शाने वाला विवरण	<b>परिशिष्ट 3.2</b>	162
56.	विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों और सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	<b>परिशिष्ट 3.3</b>	165
57.	शब्दावली	<b>परिशिष्ट 4</b>	168